राष्ट्रीय महिला आयोग

दिनांक 15 जनवरी, 2021 को "परिचालन द्वारा कार्यसूची (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन)" के माध्यम से आयोजित आयोग की 212वीं बैठक का कार्यवृत्त।

सहभागी

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्षा
2.	सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3.	सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
4.	सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
5.	सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
6.	सुश्री मीता राजीवलोचन	सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 31 जनवरी, 2021 को इसके स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "कोविड महिला योद्धाओं-वास्तविक हीरो" को सम्मानित किए जाने के आवश्यक बंदोबस्त के लिए समय की कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि आयोग की 212वीं बैठक "परिचालन द्वारा कार्यसूची" (एजेंडा बाइ सर्क्यूलेशन) द्वारा आयोजित की जाए। तदनुसार 13 जनवरी, 2021 को एक नोटिस सभी संबंधित अधिकारियों को ई-मेल द्वारा जारी किया गया। बाद में, कार्यसूची की मदें उसी दिन अर्थात् 13 जनवरी, 2021 को ई-मेल द्वारा परिचालित की गई। इस मामले में जारी किए गए नोटिस में यह बताया गया कि यदि किसी सहभागी से कोई टिप्पणी 15 जनवरी, 2021 तक नहीं मिलती तो आयोग की 212वीं बैठक की कार्यसूची अनुमोदित समझी जाएगी।

कार्यसूची मद सं. 212/I/1:

दिनांक 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 211वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 211वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 212/I/2:

दिनांक 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित आयोग की 211वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

दिनांक 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित 211वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आयोग द्वारा नोट की गई।

कार्यसूची मद सं. 212/I/3:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से विधिक जागरूकता कार्यक्रम

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

i. गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को 80,00,000/-रूपये (केवल अस्सी लाख रूपये) जारी करने के लिए अनुमोदन।
ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए एनएएलएसए को 11,66,000/-रूपये (केवल ग्यारह लाख छियासठ हजार रूपये) जारी करने के लिए अनुमोदन।

कार्यसूची मद सं. 212/I/4:

"महिला श्रम बल भागीदारी दर"" पर समेकित रिपोर्ट।

आयोग ने एमडब्ल्यूसीडी, संबंधित मंत्रालयों/विभागों को रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 212/I/5:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत अनुसंधान प्रस्तावों का अनुमोदन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. वित्त की उपलब्धता होने पर 11 (ग्यारह) प्रस्तावों के चयन, 6 गैर-पूर्वोत्तर और 5 पूर्वोत्तर के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 11 प्रस्तावों के लिए वित्तीय अनुमोदन।
    i. 06 प्रस्ताव (गैर-पूर्वोत्तर) पर 97,22,492/-रूपये (केवल संत्तानवे लाख बाईस हजार चार सौ बानवे रूपये) का व्यय होगा। इसमें से 50% अर्थात् 48,61,246/-रूपये (केवल अड़तालीस लाख इकसठ हजार दो सौ छियालिस रूपये) आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रथम किस्त के रूप में जारी किए जा सकते हैं।

ii. 05 प्रस्ताव (पूर्वोत्तर) पर 63,19,496/-रूपये (केवल तिरसठ लाख उन्नीस हजार चार सौ छियानवे रूपये) का व्यय होगा। इसमें से 50% अर्थात् 31,59,748/-रूपये (केवल इक्कतीस लाख उनसठ हजार सात सौ अड़तालीस रूपये) आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रथम किस्त के रूप में जारी किए जा सकते हैं।

कार्यसूची मद सं. 212/I/6:

दिनांक 31.01.2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापन दिवस पर कोविड महिला योद्धाओं का सम्मान:वास्तविक हीरो का समारोह।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार दिनांक 31.01.2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर कोविड महिला योद्धाओं का सम्मान:वास्तविक हीरो के आयोजन के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 212/II/1:

वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.12.2020 तक उपगत व्यय।

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन और 31.12.2020 तक व्यय विवरणी नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 212/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (दिसंबर, 2020) को नोट कर लिया है।

(मीता राजीवलोचन)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्षा